International Journal of Multidisciplinary Allied Research Review and Practices
IJMARRP ISSN No: 2455-1570 (Volume 2, Issue XI, November 2016)

अन्तर्राष्ट्रीय संघर्ष प्रबन्धन के दौरान मिश्र व इजराइल में शांति समझौतो को सम्पन्न करने के लिए फ्रेमवर्क (1980–90)

डा0 अल्पना बाजपेयी
सहायक आचार्या,
बलरामकृष्ण एकेडमी, लखनऊ

शांति स्थापना के लक्ष्य हेतु मिस्त्र व इस्त्रायल पूर्ण सद्भाव के साथ इस पर सहमत है कि इस फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर होने के तीन माह के अन्दर इसे सम्पन्न करने के लिए सहमत हैं।

यह स्वीकार किया गया है कि–

वार्ता का स्थान आपसी सहमति से तय होगा, वह स्थान संयुक्त राष्ट्र के एजेंडे के तले होगा।

संयुक्त राष्ट्र प्रस्ताव 242 के सभी सिद्धान्त मिस्त्र व इस्त्राइल के बीच विवाद को हल करने में लागू होगे।

यदि अन्य कोई सहमति न बने तो, इस शांति सन्धि के प्रवाधानों को इस पर हस्ताक्षर करने के दो तीन वर्ष के अन्दर लागू किया जायेगा।

निम्नलिखित विषयों पर सम्बन्धित पक्षो के बीच सहमति है–

- मिस्त्र और मैन्डेट (घोषण पत्र) के अनुसार फिलिस्तीन के बीच मान्य अन्तर्राष्ट्रीय सीमा तक मिस्त्र की सार्वभौमिकता को पूर्णतः स्वीकार करना।
- सिनाई से इस्त्रायली फौजों की वापसी।
- इस्त्राइल द्वारा खाली किये गये क्षेत्रों के नाम अरीश, रफीरस नकब और शर्म–ए–शेख का नागरिक कार्यों में उपयोग सम्भव व्यापारिक कार्यों में सभी राष्ट्रों द्वारा उपयोग।
- 1888 के काउन्सटंटिन्ग पोल सम्मेलन के अनुसार स्वेज नहर व स्वेज खाड़ी से इस्त्राइल के जहाजो की आवाजाही का अधिकार और अकरवा की खाड़ी ईरान से स्ट्रेट को मुफ्त अन्तर्राष्ट्रीय जलमार्ग मानना सभी राष्ट्रों को इनसे आने जाने व इनसे उड़ान भरने के अबाध और अनिलम्बनीय अधिकार।
- सिनाई और ईलात (जार्डन) के बीच सड़क बनाना जिस पर मिस्त्र व जार्डन की शांतिमय आवाजाही की गारंटी हो।
- सैनिक फौजों को निम्नलिखित पर तैनात करना–

फौजों की तैनाती

(क) स्वेज नहर व स्वेज खाड़ी से पचास किलोमीटर दूर के क्षेत्रों में एक डिवीजन (मशीनीकृत या इन्फैंटरी) की फौज तैनात करना।

(ख) अकरबा की खाड़ी के पश्चिमी क्षेत्र में 20 से 40 किमी तक की चौड़ाई में अन्तर्राष्ट्रीय सीमा तक केवल नागरिक पुलिस व संयुक्त राष्ट्र फौजें हल्के हथियाारों के साथ सामान्य पुलिस कार्य हेतु तैनाती

(ग) अन्तर्राष्ट्रीय सीमा से 03 किमी दूर चार इन्फैंटरी बटालियन हस्त्रायली फौज और संयुक्त राष्ट्र पर्यवेक्षक को भी तैनाती

(घ) सीमा गश्ती इकाइयां जो अधिकतम मीन बटालियन के नागरिक पुलिस को उस क्षेत्र में व्यवस्था बनाने में पूरक होगी जिसका ऊपर विवरण नहीं है।

ऊपर दिये क्षेत्रों का बिल्कुल सही चिन्हांकन शांतिवार्ताओं के दौरान किया जायेगा।

अग्रिम चेतावनी केन्द्र स्थापित किये जा सकते हैं, क्रियान्वयन की आवश्यकताओं के अनुसार – संयुक्त राष्ट्र की फौजें निम्नानुसाार तैनाती होगीः–

(क) भूमध्य सागर और अन्तर्राष्ट्रीय सीमा से 20 किमी तक सिनाई के क्षेत्र में।

(ख) शर्म–ए–शेख क्षेत्र में यह सुनिश्चित करने को तिरान के स्ट्रेट से मुक्त आवागमन हो सके ओर यह फौज तब तक नहीं हटाई जा सकेगी जब तक कि सुरक्षा परिषद (संयुक्त राष्ट्र) के पांचों स्थाई सदस्यों का निर्विरोध प्रस्ताव न हो।

शांति शन्धि पर हस्ताक्षर होने के बाद और जब फौजों की अंतरिम वापसी पूर्ण हो जाये तब मिस्त्र व इस्त्राइल के बीच सामान्य सम्बंध स्थापित होंगे जिसमें अग्रलिखित भी होगा–पूर्ण मान्यता राजनयिक आर्थिक और सांस्कृतिक सम्बन्धों सहित माल ओर लोगों की मुक्त आवाजाही और आर्थिक नाकेबंदी व अन्य रोकथाम को समाप्त करना, एक दूसरे के नागरिकों की कानूनी प्रक्रिया के द्वारा रक्षा करना।

फौजों की अन्तरिम वापसी–शांति सम्बन्धों पर हस्ताक्षर होने के उसे 09 माह के बीच सभी इस्त्राइली फौजों अल अरीश से रास मोहम्मद के बीच की रेखा के पूर्व से वापस हटेगी, इस रेखा की सही स्थिति आपसी सहमति से तय होगी।

मिस्त्र के अरब गणराज्य की प्रतिनिधि के हस्ताक्षर

इस्त्राइल सरकार के प्रतिनिधि के हस्ताक्षर

गवाहः

जिमी कार्टर, राष्ट्रपति, संयुक्त राज्य अमेरिका।

संदर्भ सूचीः–

1. इस्त्राइल कोहन, ए सार्ट हिस्ट्री आफ ज्यूनिजम लन्दन 1951
2. एलिस हैरी बी0 द इस्त्राइल एडद मिडिल ईस्ट, न्यूयार्क, रोनाल्ड प्रेस, 1957
3. एवरैम बेनो, द इवॉल्यूशन आफ द स्वेज कैनाज स्टेटस फ्राम 1969 अपटॅ 1956: ए हिस्टोरिकल– ज्यूरिडिकल स्टडी, पेरिस, लाइब्रेरी मिनाई, 1958
4. राएटलेज द इस्त्राइली– पैलस्टाइन क्वैश्चन, लन्दन एण्ड न्यूयार्क।
5. लखनपाल पी0एल0 डाकूमेंट एण्ड नोट्स द अरब इस्त्राइली क्वेश्चन, इंटरनेशनल बुक, दिल्ली, 1968
6. द इस्त्राइल अरब रीडर, ए डाक्यूमेंट्री हिस्ट्री आफ द मिडिल ईस्ट कान्फिलिक्त, एडिटेड बाई, वाल्टर लैक्यूर द यूनाइटेड स्टेट एण्ड कनाडा, 1969